

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण

की

गंगानगर आवासीय योजना में
विकसित

गंगानगर कामर्शियल

काम्पलेक्स

के अन्तर्गत

नीलामी

के माध्यम से दुकान/रेस्टोरेन्ट प्राप्त करने का

स्वर्णिम अवसर

नीलामी स्थल, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण सभागार

प्रस्तावित नीलामी दिनांक 18.04.2023

पंजीकरण की तिथि-

01.04.2023 से 15.04.2023 तक

आवेदन पत्र

**बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना में विकसित
गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स में दुकानों/रेस्टोरेन्ट को नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु
नियम एवं शर्तें**

1. पात्रता :

- (i) दुकानों/रेस्टोरेन्ट हेतु कोई व्यक्ति/संस्था जिसका विधिक अस्तित्व हो, नीलामी में भाग ले सकता है। दुकानों/रेस्टोरेन्ट का आवंटन लीज पर किया जायेगा। लीज पर निस्तारण के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अधीन होगा।
- (ii) आवेदक/बोलीदाता आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।
- (iii) प्रस्तावित कम्पनियों, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वॉइन्ट हिन्दू फ़ैमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियाँ नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत हैं। उक्त फर्म/कम्पनियों के पक्ष में दुकान का पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया जायेगा। एक बार आवंटन के बाद फर्म/कम्पनी का नाम परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) योजना व्यक्तियों/बिल्डरों/कम्पनियों/फर्मों/संस्था हेतु खुली है।
- (v) किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने हेतु अनुमति तब दी जायेगी जब वह विज्ञापन में प्रकाशित धरोहर राशि जमा कराकर पंजीकरण करा लेगा। पंजीकरण हेतु आवेदन केवल Janhit.upda.in पर आवेदन शुल्क रू0 750/- जमा कराते हुए कर सकते हैं।
- (vi) रेस्टोरेन्ट हेतु नीलामी के समय आवेदक द्वारा रू0 10/- मात्र के नॉनजूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित यह शपथ पत्र अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि आवंटी इसका उपयोग केवल रेस्टोरेन्ट हेतु करेगा तथा फूड सेफ्टी एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से रेस्टोरेन्ट का रजिस्ट्रेशन कराकर सम्पत्ति के पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. आवेदन कैसे करें :

- (i) किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने हेतु आवेदन केवल प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर Janhit.upda.in पोर्टल पर ही प्राप्त किये जायेंगे।
- (ii) विभिन्न श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदन शुल्क रू0 750/- एवं पंजीकरण के निर्धारित धरोहर/पंजीकरण धनराशि आवेदक को आनलाईन जमा करानी होगी, तभी आवेदन पूर्ण माना जायेगा।

3. नीलामी प्रक्रिया :

- (i) Janhit.upda.in जनहित पोर्टल के माध्यम से आवेदन-पत्र को पूर्ण रूप से भरकर दुकानों/रेस्टोरेन्ट हेतु नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक अपना आवेदन दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 15.04.2023 तक सांय 5.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय के सम्पत्ति अनुभाग में जमा कराकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) एक ही व्यक्ति/संस्था किसी दुकान के लिए बोली में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- (iii) उपाध्यक्ष/नीलामी अधिकारी सभी दुकानों/रेस्टोरेन्ट अथवा किसी भी एक दुकान की नीलामी जनहित/प्राधिकरण हित में स्थगित कर सकते हैं।
- (iv) दुकान/रेस्टोरेन्ट की नीलामी आरक्षित दर से अधिक से आरम्भ की जायेगी, न्यूनतम आरक्षित दर के बराबर दी गयी बोली शून्य समझी जायेगी। दो बोलियों के बीच न्यूनतम अन्तर को नीलामी के समय सूचित किया जायेगा।
- (v) शासनादेश संख्या-72/3488/आठ-1-14-30विधि/2014 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 12.12.2014 के अनुसार लीज रेंट चार्ज भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत दुकानों/रेस्टोरेन्ट की नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च दरों में शामिल किया जायेगा।

- (vi) कार्नर के दुकानों पर 10 प्रतिशत कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
- (vii) जिस बोलीदाता द्वारा दुकान की बोली दी जायेगी, उसे अपनी बोली वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- (viii) कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए दुकान/रेस्टोरेन्ट की बोली निरस्त कर दी जायेगी। नीलामी अधिकारी फॉल ऑफ हैमर पर प्राप्त उच्चतम बोली को नीलामी समिति के माध्यम से दुकान/रेस्टोरेन्ट की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (ix) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये एक या सभी बोलियों, जिसमें उच्चतम बोली भी सम्मिलित होगी, को अस्वीकार कर दें।
- (x) यदि आवेदक की बोली निरस्त अथवा अस्वीकार होती है तो धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (xi) योजना के अन्तर्गत किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष को आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।
- (xii) उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को नीलामी समिति की संस्तुतियों को मानने या न मानने एवं किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
- (xiii) आवंटी द्वारा दुकान/रेस्टोरेन्ट को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु आवंटी को दुकान/रेस्टोरेन्ट को बन्धक रखने हेतु बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बन्धक रखने की प्रक्रिया में हुए व्यय को आवंटी द्वारा वहन करना होगा।
- (xiv) कम्पनी/सोसाइटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एवं रेजोल्यूशन लैटर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु ऑथोरिटी लैटर प्राधिकार पत्र भी संलग्न करना होगा।
- (xv) यदि किसी आवेदक द्वारा स्वयं बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (xvi) आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य कर लें। नीलामी के समय अथवा नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नीलामी की गयी सम्पत्ति का कोई अतिरिक्त सुधार/विकास करने का उत्तरदायित्व बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। सम्पत्ति "जहाँ है—जैसा है" के आधार पर नीलाम की जायेगी।

4. आवंटन प्रक्रिया :

- (i) नीलामी समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च बोलीदाता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि बिना ब्याज के आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापिस कर दी जायेगी। सर्वोच्च बोलीदाता की धरोहर राशि सम्पत्ति के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
- (ii) सफल आवेदक को आवंटन-पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम, ई-मेल अथवा प्रोसेस सर्वर द्वारा प्रेषित किया जायेगा।
- (iii) आवंटन पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता/आवंटी द्वारा उच्चतम स्वीकृत मूल्य (10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज अतिरिक्त सहित) की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा करायी जायेगी। उक्त राशि के भुगतान हेतु कोई समयवृद्धि नहीं दी जायेगी (चैक स्वीकार्य नहीं होंगे)।

5. भुगतान की प्रक्रिया एवं कब्जा:

- (i) कुल बिड मूल्य (10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज अतिरिक्त) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए दुकान/रेस्टोरेन्ट की बोली निरस्त कर दी जायेगी। इसमें कोई अनुग्रह अवधि देय नहीं होगी। देय धनराशि का भुगतान ऑनलाईन/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर0टी0जी0एस0/पे-ऑर्डर के माध्यम से करने की दशा में प्राधिकरण खाते में अन्तरण की तिथि को भुगतान की तिथि माना जायेगा। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए दुकान की बोली निरस्त कर दी जायेगी।
- (ii) उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशि का भुगतान प्लान-ए (एक मुश्त भुगतान पद्धति) अथवा प्लान-बी (किश्त भुगतान पद्धति) द्वारा निम्नानुसार करना होगा :-
(प्लान-ए)

(ए-1) नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर-संलग्न तालिकानुसार।

(ए-2) कुल बिड मूल्य (10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज अतिरिक्त) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर जमा करानी होगी।

(ए-3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि-आवंटन-पत्र की तिथि से 90 दिन के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। 90 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर विलम्ब की दशा में 15 प्रतिशत पैनल ब्याज आवंटन तिथि से देय होगा।

(प्लान-बी)

(बी-1) नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर-संलग्न तालिकानुसार।

(बी-2) कुल बिड मूल्य (10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज अतिरिक्त) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर जमा करानी होगी।

(बी-3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन-पत्र निर्गम की तिथि से 8 त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करानी होगी।

- (iii) प्लान-बी के अन्तर्गत किश्त की निर्धारित देय तिथि के बाद 29 दिन का ग्रेस पीरियड अनुमन्य होगा। ग्रेस पीरियड की समाप्ति पर किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पैनल ब्याज देय होगा।
- (iv) आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि आवंटित सम्पत्ति का मूल्य रू0 50 लाख से अधिक है तो आवंटी को देय धनराशि का एक प्रतिशत टी0 डी0 एस0 कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALB0116G में जमा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- (v) दुकान/रेस्टोरेन्ट का कब्जा आवंटी द्वारा सम्पूर्ण देय राशि एवं समस्त शुल्क जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड पट्टा विलेख निष्पादित कराकर दिया जायेगा।
- (vi) यदि आवंटी द्वारा भुगतान प्लान-बी का चयन किया जाता है, परन्तु वह आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त तथा 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित अवधि में जमा होने के उपरान्त आवंटन

- की तिथि से 90 दिनों के अन्दर सम्पत्ति का शेष 75 प्रतिशत मूल्य जमा कर देता है तो आवंटी द्वारा पूर्व में चयन किया गया प्लान-बी स्वतः ही प्लान-ए में परिवर्तित हो जायेगा।
- (vii) यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि अगले कार्यदिवस में प्राधिकरण के बैंक खाते में देय धनराशि जमा कर दें।
- (viii) प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषको की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में उपरोक्त सम्पत्ति की भूमि का मूल्य बढ़ता है, तो वह उच्चतम बोलीदाता/आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम बोलीदाता/आवंटी से वसूल की जायेगी।

6. पट्टा-विलेख की शर्तें :

- (i) सम्पत्ति के अन्तिम भुगतान की तिथि से एक माह के अन्दर पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) पट्टा विलेख निष्पादित कराने से पूर्व नियमानुसार वॉटर सीवर कनेक्शन चार्ज आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
- (iii) उक्त सम्पत्ति उच्चतम बोलीदाता को बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के आवंटी के रूप में प्रदान की जायेगी जिसके नियम एवं शर्तें बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये गये पट्टा विलेख के आधार पर होंगी।
- (iv) सम्पत्ति का उपयोग मास्टर प्लान एवं पट्टा विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति का उपयोग ब्रोशर में अंकित तालिका में उल्लिखित है।
- (v) आवंटी को दुकान/रेस्टोरेन्ट को उपविभाजित करने का अधिकार नहीं होगा एवं किसी अन्य दुकान के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।
- (vi) आवंटी कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से समय-समय पर लागू होने वाले समस्त म्युनिसिपल कर तथा अन्य सभी कर/अनुरक्षण प्रभार जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त नियमों, उप नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत भारत किये जायें, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (vii) दुकान/रेस्टोरेन्ट की देयता के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू-राजस्व की भांति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।
- (viii) किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर दुकान/रेस्टोरेन्ट आवंटित होने की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर दुकान/रेस्टोरेन्ट का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं दुकान/रेस्टोरेन्ट का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में दुकान/रेस्टोरेन्ट के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटी को किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।
- (ix) दुकान/रेस्टोरेन्ट पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध विधिसम्मत नियम व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण/सील आदि की कार्यवाही की जायेगी।
- (x) दुकान/रेस्टोरेन्ट का आवंटन "जहां है, जैसा है", के आधार पर होगा एवं आवंटी को दुकान/रेस्टोरेन्ट का कब्जा भी "जहाँ है-जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- (xi) बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटी को अपने खर्च पर लेने होंगे।

7. स्टाम्प एवं अन्य शुल्क :

दुकान/रेस्टोरेन्ट का रजिस्टर्ड पट्टा अनुबन्ध/पट्टा विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा

अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क/अनुरक्षण प्रभार जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।

8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

- (i) नीलामी, आवंटन, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ii) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल बुलन्दशहर न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
- (iii) यदि आवंटी निर्धारित तिथि को दुकान/रेस्टोरेन्ट का पट्टा विलेख/कब्जा नियत अवधि में निष्पादन/प्राप्त नहीं करता है, तो निर्धारित तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर रू0 300 प्रति माह चौकीदारी शुल्क आवंटी पर देय होगा।
- (iv) पट्टा विलेख होने के पश्चात् नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को हस्तान्तरित होने तक नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।

9. समर्पण एवं निरस्तीकरण :

दुकान/रेस्टोरेन्ट का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी :-

- (i) यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा फॉल ऑफ हैमर के उपरान्त निर्धारित अवधि में कुल बिड मूल्य (10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (ii) यदि आवंटी आवंटन पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर दुकान/रेस्टोरेन्ट का समर्पण करता है एवं नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो धरोहर राशि में 50 प्रतिशत की कटौती करके अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रशीद देनी होगी।
- (iii) यदि आवंटी आवंटन पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर दुकान/रेस्टोरेन्ट का समर्पण करता है एवं नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी।
- (iv) यदि आवंटी आवंटन पत्र की तिथि से 03 माह के पश्चात् दुकान/रेस्टोरेन्ट का समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में दुकान की कुल कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो, तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (v) यदि आवंटी द्वारा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तिथियों में जमा नहीं करायी जाती है या दुकान/रेस्टोरेन्ट की किश्तें आरम्भ होने के पश्चात् 03 किश्तों की अदायगी समय से नहीं करायी जाती है, तो दुकान/रेस्टोरेन्ट का आवंटन निरस्त करते हुए धारा-9(iv) के अनुसार कटौती कर ली जायेगी एवं निरस्तीकरण उपरान्त सम्बन्धित सम्पत्ति को पुनः निस्तारण हेतु प्रस्तावित कर दिया जायेगा।
- (vi) सभी रिफण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर।

तालिका-1

क्र० सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति का क्षेत्र (वर्गमी० में)	सम्पत्ति संख्या	आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
1	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	15.55	GF-1	18.16	2.00
2	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	15.44	GF-2	18.05	2.00
3	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	15.44	GF-3	18.05	2.00
4	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	15.55	GF-4	18.16	2.00
5	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	19.68	GF-5	19.83	2.00
6	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	8.72	GF-6	8.79	1.00
7	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	10.92	GF-7	11.10	1.00
8	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	20.22	GF-8	18.71	2.00
9	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	20.22	GF-9	18.71	2.00
10	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	20.59	GF-10	19.08	2.00
11	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	20.59	GF-11	19.08	2.00
12	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	20.22	GF-12	18.71	2.00
13	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	भूतल	दुकान	20.59	GF-13	19.08	2.00
14	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	15.55	FF-1	14.38	2.00
15	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	15.44	FF-2	14.30	2.00
16	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	15.44	FF-3	14.30	2.00
17	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	15.55	FF-4	14.38	2.00
18	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	19.68	FF-5	15.04	2.00
19	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	8.72	FF-6	06.67	1.00
20	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	10.92	FF-7	08.35	1.00
21	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	20.22	FF-8	13.79	2.00
22	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	20.22	FF-9	13.79	2.00
23	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	20.59	FF-10	14.08	2.00
24	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	20.59	FF-11	14.08	2.00
25	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	20.22	FF-12	13.79	2.00
26	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	प्रथम तल	दुकान	20.59	FF-13	14.08	2.00
27	गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स	द्वितीय तल	रेस्टोरेन्ट	223.735 (124.02 Sqm Covered Area)	Restaur ant-1	139.00	14.00

दुकानों/रेस्टोरेन्ट हेतु सभी प्रकार के आवेदन Janhit.upda.in पोर्टल पर ही प्राप्त किये जायेंगे।

शपथ-पत्र

(शपथ पत्र रू0 10/- मात्र के नॉनजूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

सत्यापित फोटो

समक्ष:

उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

मैं (नाम).....आधार संख्या.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी

जन्म तिथि आयु वर्ष (लगभग)

निवासी

शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ :

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है।
2. यह कि मैं बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को नीलाम किये जा रहे सम्पत्ति संख्या योजना बुलन्दशहर की नीलामी में बोलीदाता के रूप में प्रतिभाग कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि मैं बोली सफल होने पर सम्पत्ति आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हूँ।
4. यह कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व पंजीकरण पुस्तिका में उल्लेखित नियम व शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है, जो मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। मैं आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।
5. यह कि उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा आवेदित योजना से सम्बन्धित किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार होगा, जो मुझे तथा मेरे परिवार को मान्य होगा।

यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धाराएं मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सब सत्य हैं, कोई कथन असत्य या छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता

नोट : शपथ पत्र रू0 10/- के स्टाम्प पेपर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाये।

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा
प्रस्तावित नीलामी में बोली लगाये जाने हेतु प्राधिकार-पत्र

सेवा में

नीलामी अधिकारी,
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

प्राधिकृत व्यक्ति
का फोटो

महोदय,

मैंने बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को नीलाम किये जा रहे भूखण्ड/दुकान संख्या योजना बुलन्दशहर की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है। किन्हीं कारणोंवश मैं उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मैं श्री/कु0/श्रीमतीआधार संख्या..... पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष (लगभग) निवासीको जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये हैं, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी, वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रमाणित

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम :

पता :